


F.No. CD-11012/01/2023-Coord.
Government of India
Ministry of Road Transport & Highways
(Coordination Section)
Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi - 110001

Dated the 15th February, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Monthly Summary for the Cabinet for the Month of January, 2024.

A copy of the unclassified portion of the Monthly Summary (Both English & Hindi) for the Cabinet pertaining to the Ministry of Road Transport and Highways for the month of January, 2024 is enclosed herewith for information.



(R.V.C.Sridhar)

Under Secretary to the Govt. of India
Ph.No- 011-23739074

Encl. As above

To,

1. All Hon'ble members of the Council of the Ministers, Government of India.
2. Vice Chairman, NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi
3. All Members of NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi. (10 spare copies)
4. Director Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhavan, New Delhi
5. All Secretaries to Government of India
6. Secretary to the President of India, New Delhi
7. Secretary to the Vice President of India, New Delhi
8. Information Officer, PIB, Shastri Bhavan, New Delhi

Ministry of Road Transport and Highways

Subject: Monthly Summary for the Cabinet for the month of January, 2024.

1. **Award and Construction of National Highways:** Ministry has awarded 3,481 km of National Highways during this period as compared to 8,400 km during the period in previous year and constructed 7,658 km upto January in 2023-24 as compared to 6,803 km constructed during previous year.
2. **Capital Expenditure:** Total GBS CAPEX outlay of MoRT&H for the year Financial Year 2023-24 is Rs. 2,64,525 crore (RE) and actual expenditure upto January, 2024 is Rs. 2,28,458 crore which accounts for 86.37% of Capital Outlay under RE 2023-24.
3. **Inauguration and Foundation Stone laying of Projects by Hon'ble Prime Minister:** Hon'ble Prime Minister dedicated multiple road development projects to the nation in Bulandshahr, Uttar Pradesh on 25th January, 2024. The projects include Aligarh to Bhadwas four-laning work Package-I (part of Aligarh-Kanpur Section of NH-34); widening of Meerut to Karnal border via Shamli (NH-709A); and four laning of Shamli - Muzaffarnagar section of NH-709 AD Package- II. These road projects, developed at a cumulative cost of more than Rs. 5000 crore, will improve connectivity and help in the economic development in the region.
4. **Inauguration and Foundation Stone laying of Projects by Hon'ble Minister for Road Transport & Highways:**

Kerala: Hon'ble Minister inaugurated and laid the foundation stone of 12 National Highways projects with a total length of 105 km, worth over Rs. 1464 cr in Kasargod, Kerala on 5th January, 2024. The propose projects aim to enhance seamless connectivity between Tamil Nadu and Kerala, ensuring swift and trouble - free transportation.

Punjab: Hon'ble Minister inaugurated 29 National Highways projects with an investment of more than Rs. 4,000 cr in Hoshiarpur, Punjab on 10th January, 2024 including construction of 4-laning of Hoshiarpur - Phagwara Section, 4- lane Ladowal Bypass connecting GT Road and National Highways 5 in Ludhiana, 4-laning of Talwandi Bhai- Firozpur Section, 45 km 4-lane bypass at Mukerian, Dasuiya and Bhogpur on Jalandhar to Pathankot Route and 30 km 4-lane bypass from Tanda to Hoshiarpur.

Madhya Pradesh: Hon'ble Minister laid foundation stones of 15 National Highways projects costing Rs 8,038 crore with total length of 499 km in Bhopal, Madhya Pradesh on 30th January, 2024. The projects include widening of Ayodhya bypass section, 4-lane

widening of Budhni to Shahganj section, 4-lane widening of Shahganj to Bari, 2-lane construction of Morena, Ambah and Porsa bypass, 2-lane construction of Sheopur Gorsa from Madhya Pradesh - Rajasthan border. Hon'ble Minister also inaugurate and laid the foundation stone of 9 National Highways projects costing Rs. 2,367 crore and total length of 225 km in Jabalpur, Madhya Pradesh.

5. **One Vehicle, One FASTag:** To enhance efficiency of the Electronic Toll Collection system and provide seamless movement at the Toll Plazas, NHAI has taken 'One Vehicle, One FASTag' initiative that aims to discourage using single FASTag for multiple vehicles or linking multiple FASTags to a particular vehicle. NHAI is also encouraging FASTag user to complete 'Know Your Customer' (KYC) process of their latest FASTag by updating KYC as per RBI guidelines.
6. **Exhibition 'Ropeway':** Symposium-Cum-Exhibition' was held in New Delhi on 23-01-2024 with the objective to enable industry collaborations between various Indian and global manufacturers, technology providers, concessionaires and infrastructure developers. The event provided a common platform for industry deliberation to promote 'Make in India' and develop a roadmap for localization of ropeway components. The highlights of the Exhibition were the Award of two ropeway projects viz. Bijli Mahadev Ropeway Project in the State of Himachal Pradesh & Dhosi Hill Ropeway project in the State of Haryana. The day also marked the signing of MoU between NHLML and IIT Roorkee for creating a center of excellence for Ropeways and other innovative alternate mobility systems.
7. **Rationalization of rules for establishment of Registered Vehicle Scrapping Facility:** Rules for establishment of Registered Vehicle Scrapping Facility are further rationalized and simplified vide draft notification GSR 57(E) dated 19.01.2024. Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 were earlier published vide GSR 653(E) dated 23.09.2021 and amended vide GSR 695(E) dated 13.09.2022 to simplify the procedure of establishing an RVSF.
8. **Ethanol 20 as Monofuel:** The Ministry, vide G.S.R. 27(E) dated 5th January, 2024, has notified norms for using Ethanol 20 as Monofuel to facilitate Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme. As per GSR 156 (E) dated 8th March, 2021, Ethanol (E20) is in the category of Flex-Fuel from E10 to E20. As such, the testing of vehicles for compliance to BS-VI norms is being undertaken at both the extreme E10 and E20. With the increasing percentage of blending, Ministry of Petroleum & Natural Gas has proposed to undertake compliance to emission norms at E-20. Accordingly, this Ministry has notified for change for E20 from Flex Fuel to mono fuel Category In Table (2) of sub-rule (18), (19), (20) & (22) of Rule 115 of CMVR, 1989.
9. **Motor Vehicles (Third Party Insurance Base Premium and Liability) Amendment Rules, 2024:** The Ministry has issued GSR 32(E) dated 05.01.2024 to further amend Motor Vehicles (Third Party Insurance Base Premium and Liability) Rules, 2022 after consultation with Insurance Regulatory and Development Authority. Ministry has revised the base premium and liability for vehicle category C1b (i.e. three wheeled vehicles used for carrying passengers for hire or reward with carrying capacity not exceeding 6 passengers).

10. **Advisory on Refund of Road tax:** The Ministry, vide letter dated 19th January, 2024, has requested States and Union Territories to devise a time specific procedure for refund of motor vehicle tax pursuant to movement of motor vehicles from one State to another, which may be easily accessible to citizens, and ensure that such motor vehicle tax be refunded expeditiously, as per the provisions of the State Motor Vehicle Taxation Acts, pursuant to receipt of application seeking refund of motor vehicle tax.
11. **Advisory on Applications under Chapter IV of the Motor Vehicles Act, 1988 ("MV Act") to any registering authority in the State:** The Ministry, vide letter dated 29th January, 2024, has clarified to States and Union Territories that the registering authorities shall accept and process all applications under Chapter IV of the MV Act and rules made thereunder, to be made to any registering authority in the State, irrespective of their place of residence or business within the State as per Section 40 of the MV Act, 1988.
12. **Motor cycles fall within the definition of 'contract carriage' as per Section 2(7) of the Motor Vehicles Act, 1988:** The Ministry, vide letter dated 22nd January, 2024 has advised States and Union Territories to accept and process application for contract carriages permits for motor cycles in accordance with the provisions of the MV Act and the rules thereunder.
13. **Land Acquisition:** A total of 116 land acquisition Notifications were issued and land acquisition compensation of approximately Rs.708.53 crore was processed through Bhoomi Rashi-PFMS by this Ministry during the month of January, 2024.
14. **Standing Finance Committee (SFC) Meetings:** In the month of January, 2024, total 50 projects of length 1324.777 km with total capital cost of Rs.35,032.13 crore were recommended by the Committee for approval.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

विषय: मंत्रिमंडल के लिए जनवरी, 2024 माह का मासिक सारांश

- राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपना और निर्माण:** मंत्रालय ने पिछले वर्ष की अवधि के दौरान 8,400 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण की तुलना में इस वर्ष के दौरान 3,481 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य सौंपा है और पिछले वर्ष के दौरान 6,803 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण की तुलना में 2023-24 में जनवरी तक 7,658 किमी का निर्माण किया गया है।
- पूँजीगत व्यय:** वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कुल जीबीएस सीएपीईएक्स परिव्यय 2,64,525 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) है और जनवरी, 2024 तक वास्तविक व्यय 2,28,458 करोड़ रुपये है, जो संशोधित अनुमान 2023-24 के तहत पूँजी परिव्यय का 86.37% है।
- माननीय प्रधान मंत्री द्वारा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास :** माननीय प्रधान मंत्री ने 25 जनवरी, 2024 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कई सड़क विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। परियोजनाओं में अलीगढ़ से भदवास चार-लेन कार्य पैकेज-1 (रारा -34 के अलीगढ़-कानपुर खंड का हिस्सा) शामिल हैं; शामली (रारा-709ए) के माध्यम से मेरठ से करनाल सीमा का चौड़ीकरण; और रारा-709 एडी पैकेज-2 के शामली-मुजफ्फरनगर खंड को चार लेन का बनाना। 5000 करोड़ रुपये से अधिक की संचयी लागत पर विकसित ये सड़क परियोजनाएं संपर्कता में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास में मदद करेंगी।
- माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास :**

केरल : माननीय मंत्री ने 5 जनवरी, 2024 को केरल के कासरगोड में 1464 करोड़ रुपये से अधिक की कुल 105 किमी लंबाई वाली 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रस्तावित परियोजनाओं का उद्देश्य तमिलनाडु और केरल के बीच निर्बाध संपर्कता को बढ़ाना, तीव्र और परेशानी रहित परिवहन सुनिश्चित करना है।

पंजाब: माननीय मंत्री ने 10 जनवरी, 2024 को होशियारपुर, पंजाब में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ 29 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें होशियारपुर - फगवाड़ा खंड के 4-लेन का निर्माण, जीटी रोड और राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाले 4-लेन लाडोवाल बाईपास, लुधियाना में रारा 5, तलवंडी भाई-फिरोजपुर खंड को 4-लेन, जालंधर से पठानकोट रूट पर मुकेरियां, दसुइया और भोगपुर में 45 किमी 4-लेन बाईपास और टांडा से होशियारपुर तक 30 किमी 4-लेन बाईपास का निर्माण कार्य शामिल हैं।

मध्य प्रदेश : माननीय मंत्री ने 30 जनवरी, 2024 को भोपाल, मध्य प्रदेश में 8,038 करोड़ रुपये की लागत से कुल 499 किमी लंबाई की 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। परियोजनाओं में

अयोध्या बाईपास खंड का चौड़ीकरण, बुधनी से शाहगंज खंड का 4-लेन चौड़ीकरण, शाहगंज से बारी का 4-लेन चौड़ीकरण, मुरैना, अंबाह और पोरसा बाईपास का 2-लेन निर्माण, मध्य प्रदेश- राजस्थान सीमा से श्योपुर गोरसा का 2-लेन निर्माण शामिल है। माननीय मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2,367 करोड़ रुपये की लागत और कुल 225 किमी लंबी 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।

5. **एक वाहन, एक फास्टैग:** इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही प्रदान करने के लिए, एनएचएआई ने 'एक वाहन, एक फास्टैग' पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एकल फास्टैग का उपयोग करने या एक विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग को जोड़ने को प्रोत्साहित नहीं करना है। एनएचएआई फास्टैग उपयोगकर्ता को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार केवाईसी अपडेट करके अपने नवीनतम फास्टैग की 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है।
6. **रोपवे प्रदर्शनी:** विभिन्न भारतीय और वैश्विक निर्माताओं, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, रियायतग्राहियों और अवसरचना विकासकर्ताओं के बीच उद्योग सहयोग को सक्षम बनाने के उद्देश्य से 23-01-2024 को नई दिल्ली में संगोष्ठी-सह-प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। इस आयोजन ने 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने और रोपवे घटकों के स्थानीयकरण के लिए एक रोडमैप विकसित करने के लिए उद्योग विचार-विमर्श हेतु एक साझा मंच प्रदान किया। प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण दो रोपवे परियोजनाएं अर्थात् हिमाचल प्रदेश राज्य में बिजली महादेव रोपवे परियोजना और हरियाणा राज्य में धोसी हिल रोपवे परियोजना का सौंपा जाना था। इस दिन रोपवे और अन्य नवीन वैकल्पिक गतिशीलता प्रणालियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिए एनएचएलएमएल और आईआईटी रुड़की के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
7. **पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधा की स्थापना के लिए नियमों का युक्तिकरण:** पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधा की स्थापना के नियमों को दिनांक 19.01.2024 के मसौदा अधिसूचना सा.का.नि 57(अ) के माध्यम से और अधिक तर्कसंगत और सरल बनाया गया है। मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रेपिंग सुविधा के कार्य) नियम, 2021 को पहले सा.का.नि. 653 (अ) दिनांक 23.09.2021 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और आरवीएसएफ की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सा.का.नि. 695 (अ) दिनांक 13.09.2022 के माध्यम से संशोधित किया गया था।
8. **मोनोफ्यूल के रूप में इथेनॉल 20:** मंत्रालय ने दिनांक 5 जनवरी, 2024 के सा.का.नि. 27(अ) के माध्यम से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए मोनोफ्यूल के रूप में इथेनॉल 20 का उपयोग करने के लिए मानदंडों को अधिसूचित किया है। 8 मार्च, 2021 के सा.का.नि 156 (अ) के अनुसार, इथेनॉल (ई20) ई10 से ई20 तक फ्लेक्स-फ्यूल की श्रेणी में है। जैसे कि बीएस-VI मानदंडों के अनुपालन के लिए वाहनों का परीक्षण चरम ई10 और ई20 दोनों पर किया जा रहा है। मिश्रण के बढ़ते

प्रतिशत के साथ, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ई-20 पर उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करने का प्रस्ताव दिया है। तदनुसार, इस मंत्रालय ने सीएमवीआर, 1989 के नियम 115 के उप-नियम (18), (19), (20) और (22) की तालिका (2) में फ्लेक्स फ्यूल से मोनो फ्यूल श्रेणी में ई20 में बदलाव के लिए अधिसूचना जारी की है।

9. मोटर वाहन (अन्य पक्ष बीमा आधार प्रीमियम और देयता) संशोधन नियम, 2024 : मंत्रालय ने परामर्श के बाद मोटर वाहन (अन्य पक्ष बीमा आधार प्रीमियम और देयता) नियम, 2022 में और संशोधन करने के लिए सा.का.नि 32(अ) दिनांक 05.01.2024 जारी किया है। मंत्रालय ने वाहन श्रेणी सी1बी (अर्थात भाड़ा या रिवाइड के लिए यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले तीन पहिया वाहन जिनकी वहन क्षमता 6 यात्रियों से अधिक न हो) के लिए आधार प्रीमियम और देयता को संशोधित किया है।
10. सड़क कर धन वापसी पर सलाह: मंत्रालय ने 19 जनवरी, 2024 के अपने पत्र के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से एक राज्य से दूसरे राज्य में मोटर वाहनों की आवाजाही के अनुसार मोटर वाहन कर की वापसी के लिए एक समय-विशिष्ट प्रक्रिया तैयार करने का अनुरोध किया है, जो नागरिकों के लिए आसानी से सुलभ हो, और यह सुनिश्चित करें कि मोटर वाहन कर की धन वापसी की मांग करने वाले आवेदन की प्राप्ति के अनुसार, राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे मोटर वाहन कर को शीघ्रता से वापस किया जाए।
11. राज्य में किसी भी पंजीकरण प्राधिकारी को मोटर यान नियमावली, 1988 ("मोटर यान अधिनियम") के अध्याय IV के तहत आवेदन पर सलाह: मंत्रालय ने 29 जनवरी, 2024 के अपने पत्र के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्पष्ट किया है कि मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 40 के अनुसार, राज्य में किसी भी पंजीकरण प्राधिकारी को बनाए जाने चाहिए, भले ही राज्य के भीतर उनका निवास स्थान या व्यवसाय कुछ भी हो पंजीकरण प्राधिकारी एमवी अधिनियम के अध्याय IV और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत सभी आवेदनों को स्वीकार करेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे
12. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2(7) के अनुसार मोटरसाइकिल 'अनुबंध कैरिज' की परिभाषा के अंतर्गत आती है: मंत्रालय ने 22 जनवरी, 2024 के अपने पत्र के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मोटर यान अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के अनुसार मोटर साइकिल के लिए अनुबंध कैरिज परमिट के लिए आवेदन स्वीकार करने और इन पर कार्रवाही करने की सलाह दी है।
13. भूमि अधिग्रहण: कुल 116 भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाएं जारी की गईं और जनवरी, 2024 माह के दौरान मंत्रालय द्वारा भूमि राशि-पीएफएमएस के माध्यम से लगभग 708.53 करोड़ रुपये का भूमि अधिग्रहण मुआवजे पर कार्रवाई की गई।

14. स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठक: जनवरी, 2024 माह में, 35,032.13 करोड़ रुपये की कुल पूंजीगत लागत वाली 1324.777 किलोमीटर लंबाई की कुल 50 परियोजनाओं को समिति द्वारा अनुमोदन के लिए अनुशंसित किया गया
